XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
वासगीत पर्चा वाद संख्या–185/2008
धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 अन्तर्गत

भागीरथ मंडल, पिता–स्व0 महावीर मंडल, साकिन–भिट्ठा, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ
.....
आवेदक

बनाम्

1. संजय कुमार पासवान, पिता–स्व0 सुकदेव पासवान
2. कलावती देवी, पति–स्व0 सुकदेव पासवान
साकिन–अमिया, थाना–नवगछिया, जिला– भागलपुर..... विपक्षी संख्या–1
3. मुनेश्वर हाजरा, पिता–बच्ची हाजरा
4. दिनेश प्रसाद सिंह, पिता– रामेश्वर प्रसाद सिंह
साकिन–पकरिया, थाना–नवगछिया, जिला– भागलपुर..... विपक्षी संख्या–2
5. अंचलाधिकारी, भवानीपुर..... विपक्षी संख्या–3

आ दे श

आवेदक अंचलाधिकारी, भवानीपुर द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–18/1998–99 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के पिता– सुकदेव पासवान के नाम निर्गत पर्चा के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी संख्या–1 के पिता–स्व0 सुकदेव पासवान एवं अन्य पाँच व्यक्ति के द्वारा वासगीत पर्चा के लिये कैम्प कोर्ट में आवेदन दिया गया और अंचलाधिकारी, भवानीपुर ने उपरोक्त सभी आवेदकों के आवेदन के आलोक में संयुक्त रूप से वाद संख्या–18/1998–99 प्रारम्भ किया। इस क्रम में विपक्षी संख्या–1 के पिता के नाम मौजा–डुमरा, थाना नं0–306/1, खाता संख्या–341, खेसरा संख्या–2469, रकवा–6 डिसमिल जमीन का पर्चा गलत ढंग से निर्गत किया गया, जबकि उपरोक्त जमीन पर आवेदक भूस्वामी की अनुमति से 40 वर्षो से दखलकार है। अंचलाधिकारी द्वारा पर्चा निर्गत करने से पूर्व आवश्यक प्रकियाओं का पालन नहीं किया गया। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों के आवेदन पत्र को एक साथ रखकर एक ही वाद के आधार पर निर्णय करने का अधिकार अंचलाधिकारी को नहीं है। भूस्वामी को भी सूचना नहीं दी गयी और न ही हल्का कर्मचारी या अंचल निरीक्षक के द्वारा स्थल जाँच किया गया। उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या–1 के पिता एवं विपक्षी संख्या–2 के पति कभी डुमरा गाँव में निवास नहीं किये है। बल्कि वे हमेशा साकिन–अमिया, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर में रहते है। मात्र भूमि हड़पने के उद्देश्य से वासगीत पर्चा बनवाया गया है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख अवलोकन कर विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी द्वारा नोटिश लेने से इन्कार करने पर बिना तामिला वापस प्राप्त है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अंचलाधिकारी, भवानीपुर ने अपने पत्रांक 153/रा0, दिनांक 20.05.2009 द्वारा प्रतिवेदित किये है कि प्रश्नगत जमीन का पर्चा सुकदेव पासवान के नाम निर्गत है। स्थानीय ग्रामीणों से पूछने पर बताया गया कि पर्चाधारी सपरिवार अन्यत्र चला गया है। वर्तमान में प्रश्नगत जमीन खाली है और ईट की दीवार से धिरा हुआ है। भूस्वामी के पुत्र ने केवाला संख्या–12395 द्वारा दिनांक 23.11.2007 को प्रश्नगत जमीन भागीरथ मंडल (आवेदक) के नाम बेच दिया है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 02.03.2012 को सुनवाई की गयी। विपक्षी अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी नोटिश लेने से इंकार किया। इस कारण से इसे विधिवत नोटिश तामिला होना समझा गया। दिनांक 18.11.2011 को विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित रहने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके बाबजूद भी सुनवाई के दिन विपक्षी अनुपस्थित थे।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन में वर्णित तावों को होहराया गया।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व प्रकिया का पालन नही किया गया। इसके अतिरिक्त अंचलाधिकारी, भवानीपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि विवादित जमीन पर पर्चाधारी का दखल–कब्जा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। इस आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित वासगीत पर्चा को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ